25/2024

पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी रामेश्वर प्रसाद विजय उपस्थित।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) बर्फी (दूध, शक्कर, ईलायची एवं चांदी वक से बनी) का विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः अप्रार्थी रामेश्वर प्रसाद विजय पुत्र श्री धनराज विजय, उम्र–74 वर्ष, जाति– महाजन निवासी– धाभाई का चौक, सांगोद जिला कोटा (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– राष्ट्रीय मिष्ठान भंडार, गांधी चौराहा, जिला कोटा** पर **5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **चन्द्रवीर सिंह जादौन** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति० जिला कलक्टर
कोटा

Deposit vide R. No. 09697/... Dated 13/05/2024 Rs. 5000/-
रोकड़ियार
कार्यालय जिला कलेक्टर
कोटा